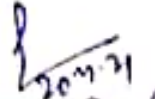


वाद का प्रकार विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कारवाई बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
20.4.21	आवेदिका सुधा कुमारी पिता स्व० रामदेव मशहूर अग्रज - केरी धारा - बालूभार के द्वारा आवेदन दिये जाते हैं कि मीजा - खिरम के ९३ खान ६० ३। फीट ख० १॥६, १॥७ १॥८, ५॥३ १॥१, ५॥५, १॥१० कुल रकबा १६.७१ एकर ११.१०.२०७ में आवेदिका ०८.३५ १/२ एकर में सुखदेव अग्रज के नाम पर ३१० अग्रज अग्रज के नाम २०१३-१४ तक खिरम मिली है। पट्टा हाल में खिरम में कलिया गाना पिता सुखदेव अग्रज के नाम से प्रचलित है। गाना देव आवेदन दिये जाते हैं। उक्त आलीक में वाद की कार्यवाही आलीक की आली है। उक्त पट्टे की लीख मिली है। उक्त पट्टे वाजस्तु देवकीन दलविही के साथ आली निधि के उपस्थित रहे। वाद की आली निधि १८.५.२१ मिली है।  आनंद अग्रज आलीक	

कार्यालय : अचल अधिकारी, बालूमाथ ।

आदेश पत्रक

क्र - ता० _____ से _____

बालूमाथ जिला- लातेहार

वाद संख्या- 05 /21-22

प्रकार _____

आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश गई का बारे में तारीख
1	2	
3-8-22	अभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष उपस्थित । प्रथम पक्ष का कहना है कि निवासी अफि पा हारा नवजा है जो 0-5 दिना में लान रतीर मर गई है द्वितीय पक्ष का कहना है की अफलाईन में तमिना हारी पूर्व के नाम से है लान रतीर मर गई है इवल नवजा हारा है उभय पक्ष की बातों को गंभीरता से सुना। बाद में जॉय प्रसिदन की मांग की। अंचल कमी एवं अंचल निरीक्षक से जॉय प्रसिदन देने हेतु पत्र है। इमिलेन दिनांक 8.9.22 को है। 8.9.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
8-9-2022	अभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष उपस्थित । अफीदलाफरी के अथ सरकारी कर में व्यय होने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सके। अभिलेख दिनांक 10.10.2022 को उपस्थापित है। अंचल अधिकारी बालूमाथ	

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक - ता० _____ से _____ तक

अंचल - बालूमाथ, जिला - लातेहार विविध वाद सं०-05 / 2021-22

केस का प्रकार- सुधा कुमारी बनाम डहरू भगत वगैरह

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
27.06.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उपरोक्त वाद में आज आदेश की तिथि पूर्व से निर्धारित की गयी थी। उभय पक्ष को नोटिस तामिला करा दिया गया था। प्रथम पक्षकार सुधा कुमारी पिता रामदेव भगत का कहना है कि मौजा सिरम के सी०एस० खाता नं०-31 प्लॉट संख्या- 91/6, 91/7, 91/8, 5/13, 11/9, 5/14, 91/10 कुल रकबा 16.71 एकड़ हो०नं० 207 में आधे भूमि 8.35% एकड़ में सुखदेव भगत वी रामदेव भगत पिता शनिया भगत के नाम से 2013-14 तक लगान रसीद निर्गत है। परन्तु हाल सर्वे खतियान में कलिया भगत पिता सुकरा भगत के नाम से प्रकाशित है। साक्ष्य के रूप में ऑफलाइन लगान रसीद उपलब्ध कराया गया। आर०एस० खाता में यह भूमि एक गोतिया कलिया भगत के नाम से इन्द्राज हो जाने के कारण उनके पुत्रों के द्वारा हमलों को वेदखल किया जा रहा है। प्रथम पक्षकार के द्वारा सभी हाल सर्वे में अपने पूर्वज का नाम जोड़ने हेतु आग्रह किया है। द्वितीय पक्षकार डहरू भगत वगैरह का कहना है कि सी०एस० खाता 31 प्लॉट संख्या- 91/6, 91/7, 91/8, 5/13, 11/9, 5/14, 91/10 कुल रकबा 16.71 एकड़ का ऑफलाइन लगान रसीद वर्ष 2008-09 तक लगान रसीद निर्गत है। उक्त भूमि पर हमारे पूर्वज आरंभ से जोत-कोड़ करते आ रहे हैं। लातेहार जिला में रिविजन सर्वे होने के पश्चात् उक्त जमीन का आर०एस० खाता 12 प्लॉट 335, 336, 338, 339, 338/1473 कुल रकबा 11.76 एकड़ बना है। जो कलिया भगत पिता सुकरा भगत के नाम से इन्द्राज पाया गया। उक्त भूमि का ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत पाया गया।	

उभय पक्षकारों के द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी साक्ष्य एवं सभी राजस्व दस्तावेज का अवलोकन करने के पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष पाये जाते हैं:-

1- प्रथम पक्षकार का मौजा सिरम सी0एस0 खाता नं0-31 प्लॉट संख्या- 91/6, 91/7, 91/8, 5/13, 11/9, 5/14, 91/10 कुल रकबा 8.35% एकड़ का सुखदेव भगत वो रामदेव भगत पिता शनिया भगत के नाम से वर्ष 2013-2014 तक ऑफलाइन लगान रसीद निर्गत है। जो म्यूटेशन केस नं0-236/2011-12 के द्वारा निर्गत किया गया है ये जमाबंदी हो0नं0 207 पर कायम है।

2- प्रथम पक्षकार द्वारा उक्त रसीद के अलावा आपसी बंटवारा नामा प्रस्तुत किया है जो मुखिया के द्वारा सत्यापित है। इसका कोई वैधानिक साक्ष्य नहीं माना जा सकता है।

3- द्वितीय पक्षकार के द्वारा सी0एस0 खाता 31 प्लॉट संख्या- 91/6, 91/7, 91/8, 5/13, 11/9, 5/14, 91/10 कुल रकबा 16.71 एकड़ का ऑफलाइन लगान रसीद उपलब्ध कराया गया जो वर्ष 2008-09 तक निर्गत है।

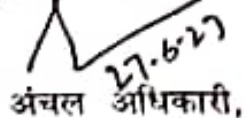
4- द्वितीय पक्षकार के द्वारा उक्त भूमि का खाता 12 प्लॉट 335, 336, 338, 339, 338/1473 कुल रकबा 11.76 एकड़ का अधिकार अभिलेख एवं ऑनलाइन लगान रसीद उपलब्ध कराया गया जो वर्ष 2022-23 तक निर्गत है।

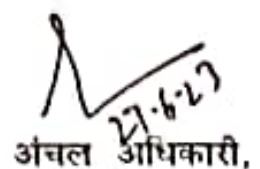
5- उक्त भूमि के भौतिक निरीक्षण में द्वितीय पक्षकार का जोत-कोड़ पाया गया।

6- लातेहार जिला में रिविजन सर्वे लागू है यहां पर वर्ष 2005 में सरकार के आदेशानुसार रिविजन सर्वे का प्रकाशन हो चुका है। सभी राजस्व कार्य यथा-भूमि निबंधन, दाखिल खारिज, आपसी बंटवारा इत्यादि रिविजन सर्वे के आधार पर निष्पादित किया जाता है जो वर्तमान में मान्यता प्राप्त है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों देखते हुए सभी साक्ष्यों का गंभीरता पूर्वक अवलोकन करते हुए मैं इस नतीजा पर पहुंचा हूँ कि मौजा सिरम सी०एस० खाता 31 प्लॉट संख्या- 91/6, 91/7, 91/8, 5/13, 11/9, 5/14, 91/10 कुल रकबा 16.71 एकड़ (आर०एस० खाता 12 प्लॉट 335, 336, 338, 339, 338/1473 कुल रकबा 11.76 एकड़) भूमि पर द्वितीय पक्षकार डहरू भगत वगैरह का हक हैकियत सिद्ध होता है। द्वितीय पक्षकार का उक्त भूमि पर अधिकार बनता है। प्रथम पक्षकार के पास ऑफलाईन लगान रसीद है परन्तु लातेहार जिला में हाल सर्वे लागू है इसलिए इसे मजबूत आधार नहीं माना जा सकता है। प्रथम पक्षकार को यदि ऐसा लगता है कि हाल सर्वे त्रुटिपूर्ण होने के कारण हाल सर्वे में इनका नाम या इनके पूर्वज का नाम इन्द्राज नहीं हो पाया तो पुनः री-सर्वे में अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। चूँकि प्रथम पक्षकार का आवेदन है कि आर०एस० खतियान में संशोधन करके इनके पूर्वज का नाम इन्द्राज किया जाय। ये अंचल अधिकारी की शक्ति एवं क्षेत्र अधिकार से बाहर की बात है। इसके लिए प्रथम पक्षकार सक्षम न्यायालय/सिविल कोर्ट में अपील वाद दायर कर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। मेरे आदेश से सभी पक्षकार एवं राजस्व कर्मी को अवगत कराये। असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में अपील वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित


 अंचल अधिकारी,


 अंचल अधिकारी,